मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
''मंत्रालय''
वल्लभ भवन, भोपाल—462004

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 1997

क्र. सी/3-18-97-3-एक

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित सदस्य को शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में.

शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के नियुक्तिकर्त्ता अधिकारियों द्वारा शासन के अनुकम्पा संबंधी निर्देश दिनांक 10 जून 94 की कंडिका-6 में निहित प्रावधान का अनुसरण न करते हुए, उनके विभाग/कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र मूलत: जिलाध्यक्ष कार्यालय को नियुक्ति हेतु भेज दिये जाते हैं.

2. उपर्युक्त के प्रकाश में यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 10 जून 1994 की कंडिका-6 का अनुसरण करते हुए जिस विभाग में मृतक शासकीय सेवक कार्यरत था, प्रथमत: उसी विभाग/कार्यालय में उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए. यदि संबंधित विभाग/कार्यालय में पद रिक्त न हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण विभागाध्यक्ष को विभाग के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु भेजा जाय. यदि विभागाध्यक्ष के कार्यालय में भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो एक विभाग से दूसरे विभाग में आवेदन पत्र अग्रेषित करने के लिये जिला कलेक्टर को प्रकरण भेजे जावें.

3. यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि शिक्षा विभाग को छोड़कर कलेक्टर द्वारा जो प्रकरण एक विभाग से दूसरे विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लिये भेजे जायेंगे, उनमें अनुकम्पा नियुक्ति के निर्देशों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश संबंधित नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जावें.

हस्ता./
(आलोक श्रीवास्तव)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 1997

पृ. क्रमांक सी/3-18-97-3-एक
प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजभवन, भोपाल.